लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

अपील सं. 05/2026
जीसीएमएस सं. 2026/12
ऑन लाईन अपील सं.218226579531501/2026

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
फरहत सुरैया कुरैशी C/O शाहिद कमाल कुरैशी निवासी मस्जिद के पास, जवाहर कोलोनी, परतापुर, बांसवाडा।	बनाम	**तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी जिला बांसवाडा**

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 11–03–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन 218505447308811 दिनांक 15–01–2026 प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मैमो अनुसार अपीलकर्ता को प्रारंभ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा **Fee Information sent** अंकित कर शुल्क विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराए बिना ऑफलाईन चालान से भुगतान करने हेतु कहा गया, जिस पर आपत्ति के बाद ऑनलाईन भुगतान विकल्प सक्रिय किया गया तथा अतिरिक्त शुल्क अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाईन जमा कर दिया गया। शुल्क विधिवत स्वीकार किए जाने के बाद भी आज दिनांक तक मांगी गई सूचना पोर्टल पर अपलोड नही की गई और न ही भौतिक रूप में उपलब्ध करवाई गई है, बल्कि अपीलकर्ता को कार्यालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर सूचना प्राप्त करने हेतु कहा जा रहा है तथा व्हाट्सएप के माध्यम से अनौपचारिक संदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:29 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

भेजा गया है। आवेदन एवं शुल्क दोनो ऑनलाईन होने के बावजुद सूचना इलेक्ट्रोनिक माध्यम से न देना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(9) के विपरीत है। साथ ही आवेदन की तिथि से 30 दिवस से अधिक का समय हो चुका है, अतः यह परोक्ष अस्वीकृति के समान है। माननीय प्राधिकारी से निवेदन है कि लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित कर सूचना तत्काल पोर्टल पर अपलोड कर इलेक्ट्रोनिक रुप में उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 25–02–2026 जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी जिला बांसवाडा ने उनके पत्रांक भू.अ / आरटीआई / 2026 / 221 दिनांक 11–03–2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि अपीलार्थी फरहत सुरैया कुरैशी निवासी हकीमी मौहल्ला परतापुर जिला बांसवाडा के ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.01.2026 की सूचना तैयार कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / भू.अ / 2026 / 122 दिनांक 13.02.2026 द्वारा प्रतिलिपि शुल्क जमा कर प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त करने हेतु सूचित किया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.02.2026 को प्रतिलिपि शुल्क ऑनलाईन माध्यम से जमा कराया गया। चूंकि सूचना के पृष्ठो की संख्या 180 है जो अधिक है जिसे पीडीएफ के माध्यम से एक साथ अपलोड करने में तकनिकी समस्या है। आवेदक परतापुर की ही निवासी है, जिस हेतु आवेदक को कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेतु कहा गया परन्तु प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त नही की गई। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:29 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का एवं **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी जिला बांसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी के ऑनलाईन आवेदन

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अनुसार 8 बिन्दुओं पर सूचना वांछित है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न पत्रांक भू.अ./ आरटीआई/ 2026/ 124 दिनांक 13.02.2026 का अवलोकन किया उक्त पत्र अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत् है। प्रत्यर्थी अनुसार वांछित सूचना अत्यधिक पृष्ठो कुल 180 पेज की होने से पीडीएफ के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड करने में तकनिकी समस्या उत्पन्न हो रही है तथा अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर तैयार की गई सूचना प्राप्त नही कर रही है।

अतः प्रत्यर्थी **तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) गढी जिला बांसवाडा** को निर्देशित किया जाता है कि वह तैयारशुदा सूचना रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपीलार्थी के पते पर भिजवावे। अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11–03–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:29 IST
Reason: SelfAttested